बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
<u>अधिसूचना प्रारूप</u>

अधि0सू0सं0: यो0स्था01/8–विविध–1/2012 373 यो0वि0 पटना दिनांक 21 जनवरी, 2016

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ– (1) यह नियमावली बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009 के नियम [5] में संशोधनः–

उक्त नियमावली, 2009 के नियम 5 के उपनियम (v) के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम (vi) जोड़ा जायेगाः–

"(vi) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यर्थी के लिए अधिमानता एवं उम्र सीमा में छूटः–

(क) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके आवेदकों को ही प्रति पूर्ण वर्ष कार्य अनुभव के लिए 5 प्रतिशत (अधिकतम 25 प्रतिशत तक) अंक अधिमानता के लिए मान्य होगा। यह अधिमानता भविष्य में होने वाली आयोग की मुख्य परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार हेतु मान्य होगी।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षो की छूट सभी श्रेणियों के संविदात्मक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अथवा कार्यरत अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
20/01/2016
(कृष्ण कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01/8–विविध–1/2012 373 यो0वि0 पटना दिनांक 21 जनवरी, 2016
प्रतिलिपिः ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20/01/2016
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः योॖस्था01 / 8–विविध–1 / 2012 373 योॖवि0 पटना दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/2016

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01 / 8–विविध–1 / 2012 373 यो0वि0 पटना दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/01/2016

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01 / 8–विविध–1 / 2012 373 यो0वि0 पटना दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, (सांख्यिकी) बिहार / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/2016

संयुक्त सचिव